वित्तीय स्वीकृति

No. I/318637/XXVIII-3-2025-e-file no. 89215/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–3 देहरादून : दिनांक 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

विषय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2024–25 में **Kind Grant of NCVBDC under NHM** के रूप में अवमुक्त 90% केन्द्रांश के सापेक्ष 10%राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/07/बजट अनुभाग–01/18/2025–26/13090 दिनॉकः 30 मई, 2025 एवं पत्र संख्या– 5प/07/बजट अनुभाग–01/18/2025–26/19660 दिनॉकः 19 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में Kind Grant of NCVBDC under NHM हेतु अवमुक्त 90 प्रतिशत केन्द्रांश रू0 16,05,599 के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू. –1,78,400/–(रूपये एक लाख अठ्ठहत्तर हजार चार सौ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 – इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से Kind Grant of NCVBDC under NHM हेतु अवमुक्त के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0–1,78,400/–(रूपये एक लाख अठ्ठहत्तर हजार चार सौ मात्र) को संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2019 के अन्तर्गत एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
ii. उक्त अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में आहरित एवं व्यय की जाएगी। अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।

iii. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।

iv. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के संगत लेखाशीर्षक के मानक मद–71 केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के नामे डाला जायेगा।

vii. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–303964/E-77886/XXVII(1)/2025 दिनांक 06 जून, 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713 /9(150) 2019 /XXVII (1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

संलग्नक :–अलॉटमेंट आई0डी0 की प्रति सहित।

Digitally signed by Rajan Rajesh Kumar
Date: 31-07-2025 16:28:53

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

No. /XXVIII-3-2024-e-file no. 89215/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.महालेखाकार, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त–1/नियोजन विभाग।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 31-07-2025 17:54:44

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

जरि/30/6/25

संख्या– I/310089/25 /XXVIII-3-2025-e file Comp. no-89215/2025

प्रेषक,

कृष्ण कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–03 देहरादून : दिनांक 30 जून, 2025

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यक्रम के संचालन धनराशि को निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–5प/07/बजट अनु0–1 /18/2025–26/13090, दिनांक 30 मई, 2025, पत्र संख्या–5प/07/बजट अनु0–1 /18/2025–26/13088, दिनांक 30 मई, 2025 एवं पत्र संख्या–5प/07/बजट अनु0–1 /18/2025–26/17940, दिनांक 27 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत Kind Grant of NCVBDC under NHM एवं Kind Grant of Routine Immunization Programme under NHM हेतु Kind Grant के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यक्रम के संचालन भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि की बजट आवंटन की आई0डी0 निकालने के दौरान आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रदर्शित हो रही है:–

"Budget Will Not be Distributed in object code (71,72) to other then SSM for SNA Sparsh".

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कर सुविचारित प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

I. उक्त लेखाशीर्षकों को एस0एन0ए0 स्पर्श / एस0एन0ए0 एकाउण्ट में रखे जाने का औचित्य ?

II. मानक मद–12, 30 एवं 31 में केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश को निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून से अपने स्तर से समन्वय स्थापित कर उक्त कठिनाईयों को दूर कर शासन को अवगत करायें तथा आगामी निर्गत किये जाने वाले बजट से सम्बन्धित प्रस्तावों को सुविचारित कर शासन को उपलब्ध करायें।

भवदीय,

Digitally signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 30-06-2025 13:53:00

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

पत्र संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/–
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।